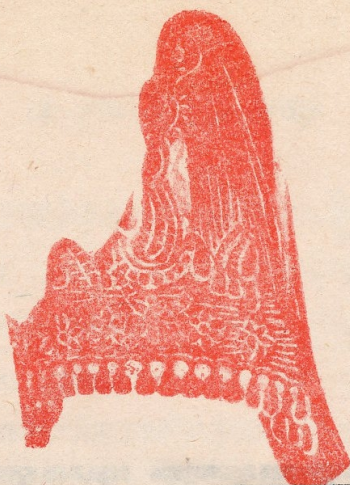




नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २५] काठमाडौं, फागुन ५ गते २०३२ साल [अतिरिक्ताङ्क ५२

श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय

राजदरबारको

सूचना

श्री ५ महाराजाधिराजबाट देहायका नियमहरू खारेज गरिबक्सको छः-

१. राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको आचरणसम्बन्धी नियमहरू, २०२४,
२. वर्गीय संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूको आचरण संहिता, २०२४,
३. राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको आचरणसम्बन्धी उजुरी हेर्ने आयोगको कार्यविधि नियमहरू, २०२६।

हुकुमबक्सबमोजिम,

रञ्जनराज खनाल

श्री ५ महाराजाधिराजका सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

(२)

३०/०५/७७

१. प्रस्तावना - इस प्रस्तावना में हमने देखा है कि भारत में विभिन्न विभागों की सेवा में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी के बीच में जो कुछ भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, वे अक्सर उनके अधिकारों और कर्तव्यों के अभाव में होती हैं।

२. उद्देश्य - इस प्रस्तावना का उद्देश्य है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के अभाव में हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

३. कार्यवाही - हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के अभाव में हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

४. निष्कर्ष - हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के अभाव में हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

५. अनुमति - हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के अभाव में हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

६. अंतिम - हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के अभाव में हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।